दिनांक 5 अप्रैल, 1984

क्रमांक 413-ज-(II)-84/9914.—श्री श्यो लाल, पुत्र श्री नत्थू राम, गांव लिलोढ़, तहसील झज्जर, (अब कोसली), जिला रोहतक, की दिनांक 12 सितम्बर, 1983 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री श्यो लाल की मुआफिग 300 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 49-ज-II-73/2854, दिनांक 30 जनवरी, 1973 तथा अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती राम देई के नाम रबी, 1984 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

क्रमांक 349-ज-II-84/9918.—श्री जी राम, पुत्र श्री राम लाल, गांव डालनवास, तहसील व जिला महेन्द्रगढ़, की दिनांक 15 जनवरी, 1984 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए) (1) तथा 3(1) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री जी राम को मुआफिग 300 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे पंजाब/हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 12409-जे.एन.-II-65/11491, दिनांक 27 दिसम्बर, 1965, अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 तथा 1789-जे-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा मन्जूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती गाम कौर के नाम खरीफ, 1984 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

टी० आर० तुली,

अवर सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व विभाग ।

TOURISM DEPARTMENT

CORRIGENDUM

The 6th April, 1984

No 24/18/82-6PP.—In Haryana Government, Tourism Department, Notification No. 24/18/82-6PP, dated 30th September, 1983 published in Haryana Government Gazette (ordinary) dated 25th October, 1983 at page 1819, in the specification under heading Village/Locality.

(i) for "Bahadurgarh" read "Parnala"

B. S. OJHA,

Financial Commissioner & Secretary to Government, Haryana,
Tourism Department.

सहकारिता विभाग

दिनांक 30 मार्च, 1984

सं. 2272-C-II-84/9543.—पंजाब सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1961 की धारा 85 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा पंजाब सहकारी सोसायटी नियम, 1963, को आगे संशोधित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. यह नियम पंजाब सहकारी सोसायटी (हरियाणा प्रथम संशोधन) नियम 1984 कहे जा सकते हैं ।

2. पंजाब सहकारी सोसायटी नियम, 1963, में, परिशिष्ट 'ग' में, नियम 42-क को उसके उप-नियम (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार से पुनः संख्यांकित किए गए उप-नियम (1) में,

(क) तीसरे परन्तुक के बाद, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ दिया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह और कि रजिस्ट्रार धारा 26-क के अधीन इस प्रकार से नियुक्त किये गये समिति के किसी सदस्य को समिति के अध्यक्ष के रूप में पदनामित कर सकता है।" ;

(ख) इस प्रकार से पुनः संख्यांकित किए गए उप-नियम (1) के बाद, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(2) सोसायटी की उपविधियों में किसी बात के होते हुए भी, रजिस्ट्रार, सरकार या रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष के निबन्धन तथा शर्तें जिनमें पारिश्रमिक का भुगतान भी शामिल है, निर्धारित कर सकता है। सारे ऐसे व्यय का सहकारी सोसायटी की निधि में से भुगतान किया जाएगा।"

कुलवन्त सिंह,

सचिव, हरियाणा सरकार,
सहकारिता विभाग।

CO-OPERATION DEPARTMENT

The 30th March, 1984

No. 2772-C-II-84/9543.—In exercise of the powers conferred by section 85 of the Punjab Co-operative Societies Act, 1961, and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana, hereby makes the following rules further to amend the Punjab Co-operative Societies, Rules, 1963, namely :—

1. These rules may be called the Punjab Co-operative Societies (Haryana First Amendment) Rules, 1984.

2. In the Punjab Co-operative Societies Rules, 1963, in Appendix C Rule 42-A shall be renumbered as sub-rule (1) thereof and to sub-sule (1) as so renumbered

(a) after 3rd proviso, the following proviso shall be added, namely :—

"Provided further that the Registrar may designate any member of the Committee so appointed under section 26-A as Chairman of the Committee" ;

(b) after sub-rule (1) as so renumbered, the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(2) Notwithstanding anything contained in the bye-laws of the society, the Registrar may determine the terms and conditions including the payment of remuneration of the Chairman appointed by the Government or Registrar. All such expenditure shall be paid out of the funds of the Co-operative Society".

The 6th April, 1984

No. 1622-C-II-84/10152.—In exercise of the powers conferred by sub-section (IA) of section 26B of the Punjab Co-operative Societies Act, 1961, and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby removes Shri Hari Krishan Advocate, Village and P. O. Gangatheri, district Jind, from the membership of the Committee of the Jind Co-operative, Sugar Mills Ltd., Jind, constituted,—*vide* Haryana Government, Co-operative Department Notification No. 10443-C-II-82/37332, dated the 21st October, 1982.

KULWANT SINGH,

Secretary to Government, Haryana,
Co-operative Department.